2022/373

फर्द अहकाम
(नियम–26)
अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

वादी
जगदीश

बनाम

प्रतिवादीगण
भागीरथ वगैरह

किस्म प्रकरण : वाद पत्र

संख्या –226 /2024

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
16.10.2024	वकील वादी गैर हाजिर। वकील वादी एवं पक्षकारान को बार–बार आवाजे लगवाई गई। बावजूद सूचना तारीख पेशी एवं आवाजे लगाने पर भी वकील वादी एवं पक्षकारान उपस्थित नहीं आये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज दिनांक 23.09.2022 से प्रतिवादीगण की तलबी में लम्बित चल रहा है। वकील वादी का प्रतिवादीगण की तलबी हेतु अनेक अवसर दिये गये है तथा दिनांक 10.06.2024 को प्रतिवादीगण की तलबी कराने हेतु वकील वादी को हिदायत दी गई। परन्तु वकील वादी द्वारा न्यायालय आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। अतः प्रकरण हाजा में बावजूद तारीख पेशी सूचना एवं बार–बार आवाजे लगाने पर भी वकील वादी एवं पक्षकारान के उपस्थित नहीं आये। इसी प्रकार वकील वादी को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सीपीसी नियमों के प्रावधान अनुसार पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी प्रतिवादीगण की तलबी पेश नहीं की है। अतः वादी का वाद अधीन धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955 प्रतिवादीगण की तलबी कराने संबंधी न्यायालय आदेश की पालना नहीं किये जाने पर सीपीसी प्रावधान अनुसार आदेश 09 नियम 05 के तहत अदम तकमील में एवं नियत तारीख पेशी पर गैर हाजिर रहने पर अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	